

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 59] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 17, 1972/माघ 28, 1893
No. 59] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 17, 1972/MAGHA 28, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation**

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th Februzry 1972

G.S.R. 82(E).—In exercise of the powers conferred by section 22 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government, being of the opinion that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts till the 30th day of June, 1972, every official of the Central Government or a State Government or a Public Sector Undertaking who is proceeding on official duty to Bangladesh from the provisions of section 3 of the said Act in so far as the said provisions relate to his departure from India to Bangladesh:

Provided that such official holds a certificate issued—

- (a) by an officer of the rank of Joint Secretary or Director in a Government Department; or
- (b) where such official is a member of the armed forces, by an officer of the rank of Lieutenant Colonel or equivalent;

to the effect that such official is proceeding on official duty to Bangladesh.

[No. VI/401/53/71.]

P. N. MENON, Secy.

विदेश संचालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1972

जी०एस०आर० 82(अ).—गसरोट अधिनियम 1967 (1967 का 15) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझते हुए, इनके द्वारा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सरकारी क्षेत्र प्रतिष्ठान के ऐसे प्रत्येक अधिकारी को, जहाँ तक उक्त प्रावधानों का सम्बन्ध भारत में बंगला देश की स्वतन्त्रता का है, 30 जून 1972 तक उक्त अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों से छूट देती है, जो सरकारी काम से बंगला देश जा रहे हों बशर्ते कि ऐसे अधिकारी के पास :

- (क) संयुक्त सचिव के दर्जे के कोई अधिकारी अथवा किसी सरकारी विभाग में निदेशक के द्वारा अथवा
- (ख) जहाँ ऐसा अधिकारी सशस्त्र सेना का सदस्य हो, तो लेफ्टिनेंट कर्नल या इसके समकक्ष दर्जे के कोई अधिकारी के द्वारा ;

इस प्राण्य का प्रमाणपत्र हो कि वह अधिकारी सरकारी काम से बंगला देश जा रहा है ।

[सं. बी. 1/401/52/71]

पी० एन० मेनन, सचिव ।